राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

आदेश दिनांक :– 07.01.2020

प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2020

अनुवानी

सन्तोषकंवर आदि

बनाम

राजस्थान सरकार

–:: आदेश ::–

तहसीलदार, चूरू की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हल्का पटवारी, कस्बा चूरू एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, चूरू द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि जब ग्राम डाबला विभाजित होकर अलग ग्राम बनाया गया तब तीन खसरा नम्बरों का रकबा एक साथ एक खसरा नम्बर 1585/1173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर में दर्ज कर दिया गया जबकि तीन अलग–अलग खसरा नम्बर दर्ज करने चाहिए थे। इसी प्रकार ग्राम डाबला में ही खसरा नम्बर 1602/1587 तादादी 1.9349 हैक्टेयर में से कटानी रास्ते का अंकन करते समय उक्त खसरा नम्बर तीन भागों में विभाजित हो गया था परन्तु रास्ते के अलावा शेष दो भागों का रकबा एक साथ ही अंकित कर दिया गया जबकि दो भागों के अलग अलग खसरा नम्बर अंकित किये जाने थे। अतः ग्राम डाबला के खसरा नम्बर 1585/1173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1585/1173 मीन तादादी 1.8210 हैक्टेयर, 1585/1173 मीन तादादी 1.2241 हैक्टेयर व 1585/1173 तादादी 2.7722 हैक्टेयर एवं ग्राम डाबला के खसरा नम्बर 1602/1587 तादादी 1.9349 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1602/1587 मीन तादादी 1.0100 हैक्टेयर व 1602/1587 तादादी 0.9249 हैक्टेयर किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का, कस्बा चूरू, भू–अभिलेख निरीक्षक, चूरू एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे प्रार्थना पत्र में उल्लेखित त्रुटि सहवन से हुई लिपिकीय भूल प्रतीत होती है जो दुरुस्ती योग्य है। सम्बन्धित पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार, चूरू ने भी अपनी–अपनी रिपोर्ट में उक्त अशुद्धि को शुद्ध किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बा चूरू, भू–अभिलेख निरीक्षक, चूरू एवं तहसीलदार, चूरू के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 का स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम डाबला के खसरा नम्बर 1585/1173 तादादी 5.8173 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1585/1173 मीन तादादी 1.8210 हैक्टेयर, 1585/1173 मीन तादादी 1.2241 हैक्टेयर व 1585/1173 तादादी 2.7722 हैक्टेयर एवं ग्राम डाबला के खसरा नम्बर 1602/1587 तादादी 1.9349 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 1602/1587 मीन तादादी 1.0100 हैक्टेयर व 1602/1587 तादादी 0.9249 हैक्टेयर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू तद्नुसार राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती करें।

यह आदेश आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी

चूरू